

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 3676 / 2004 / पाली</u> सरकार बनाम नाथी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30-10-2024	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्री शिवप्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक। श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक अप्रार्थीगण</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स जिला कलेक्टर पाली ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 12-8-04 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।</p> <p>रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार पाली ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, पाली को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम गुन्दोज तहसील पाली में डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजा जी (बडा मंदिर) वाके देह बएतमाम पुजारी नरबदा बेवा मोहनलाल के नाम भूमि एकीकरण संवत् 2019 में खसरा नंबर 954 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि दर्ज थी। उक्त भूमि एकीकरण संवत् 2023 से 2026 के अनुसार पुजारी के बजाय नरबदा बेवा मोहनलाल के नाम दर्ज हो गई। विवादित आराजी बिना किसी आदेश या नामांतरकरण के सीधे ही अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त भूमि गत भूमि एकीकरण संवत् 2019 में मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज थी जो नामांतरकरण संख्या 311 एवं 1140 वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज किया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार द्वारा रेफरेंस प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 3676 / 2004 / पाली</u> सरकार बनाम नाथी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>मंडल में प्रेषित किया है।</p> <p>विद्वान उपराजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि माफी मंदिर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरुद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः माफी मन्दिर के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।</p> <p>अभिभाषक अप्रार्थी ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये कहा कि विवादित आराजी कभी मंदिर के नाम नहीं रही। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इतने लम्बे समय बाद किसी के खातेदारी अधिकार रेफरेंस के जरिये समाप्त नहीं किये जा सकते। विवादित आराजी पूर्व में नरबदा के नाम थी तथा उसकी मृत्यु उपरांत अप्रार्थी सं.1 नाथी के नाम अंतरित हुई। नाथी के द्वारा बेचान करने पर विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 2 भूरदास के नाम दर्ज हुई। भूरदास सदभावी क्रेता है। भूमि पर मकान बने हैं। तहसीलदार पाली द्वारा रेफरेंस गलत एवं मौके के तथ्यों के विपरित पेश किया है। तहसीलदार पाली ने अपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड पेश किया है। संवत् 2012 का राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है, केवल संवत् 2019 की मिसल बंदोबस्त व भूमि एकीकरण ही प्रस्तुत किया है। अतः रेफरेंस निराधार होने से खारिज किया जावे।</p> <p>उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 3676 / 2004 / पाली</u> सरकार बनाम नाथी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया।</p> <p>प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार ग्राम गुन्दोज तहसील पाली के खसरा नंबर 954 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा मिसल बंदोबस्त भूमि एकीकरण संवत् 2019 में डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजा जी (बडा मंदिर) वाके देह बएतमाम पुजारी नरबदा बेवा मोहनलाल स्पष्ट दर्ज थी। उक्त भूमि जमाबंदी संवत् 2023 से 26 अनुसार पुजारी के बजाय नरबदा बेवा मोहनलाल के नाम दर्ज होना प्रकट है। नरबदा की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी नाथी के नाम दर्ज होने पर, नाथी ने अप्रार्थी भूरदास को विक्रय कर दी। विक्रय के आधार पर नामांतरकरण संख्या 311 दर्ज हुआ। विवादित आराजी मिसल बंदोबस्त भूमि एकीकरण संवत् 2019 में स्पष्ट रूप से मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज थी, जो बिना किसी सक्षम आदेश के संवत् 2023 से 2026 में नरबदा के नाम दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में बेचान के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 भूरदास के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एवं राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी जो पूर्णतया गलत व विधि विरुद्ध है।</p> <p>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थी के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरुद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है।</p>	

तारीख हुक्म	<p style="text-align: center;">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स / एल.आर. / 3676 / 2004 / पाली</u> सरकार बनाम नाथी वगैरह</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। जिला कलेक्टर ने रिकोर्ड का पूर्ण परीक्षण कर विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।</p> <p>निष्कर्षतः हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी को पुनः डोली बनाम मंदिर श्री चारभुजा जी (बडा मंदिर) " के नाम पूर्ववत बतौर खातेदार दर्ज करने एवं सुसंगत समस्त राजस्व अभिलेखों से अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद फैशल शुमार की जावे।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(मदनलाल नेहरा) सदस्य</p>	